भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अंतारांकित प्रश्न संख्या. 1801

(जिसका उत्तर मंगलवार, 19 दिसंबर, 2023 को दिया गया)

कारपोरेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही

1801 श्री सतीश चंद्र दूबे:

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने कारपोरेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को किस प्रकार बढ़ावा दिया है; और

(ख) देश में कारपोरेट प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) और (ख): कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में कारपोरेट प्रबंधन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। अधिनियम और नियमों के अनुसार कंपनियों को लेखा-बही-खातों, विभिन्न विवरणियों और रजिस्टरों को निर्धारित प्ररूप में रखना और उन्हें अपने पंजीकृत कार्यालयों में रखना अपेक्षित है। अधिनियम की धारा 94 के अनुसार कंपनियों द्वारा रखे गए सांविधिक रजिस्टरों और विवरणियों का सदस्यों या अन्य प्रतिभूति धारकों या अन्य व्यक्तियों द्वारा अपेक्षानुसार निरीक्षण किया जा सकता है। कंपनियों को शेयरधारकों की सूचना के लिए व्याख्यात्मक विवरणों के साथ-साथ अन्य संलग्नकों के साथ आम बैठकों के लिए नोटिस अग्रेषित करना भी अपेक्षित होता है। वार्षिक वित्तीय विवरणों को भी शेयरधारकों को अग्रेषित करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त, कंपनियों को रजिस्ट्रार के पास विभिन्न दस्तावेज, प्रस्तावों की प्रतियां और रिटर्न फाइल करना अपेक्षित होता है। बोर्ड की रिपोर्ट, वित्तीय विवरण और वार्षिक रिटर्न में प्रकटीकरण यह भी सुनिश्चित करता है कि हितधारकों के साथ-साथ रजिस्ट्री में प्रत्येक प्रासंगिक सूचना उपलब्ध हो। अधिनियम की धारा 399 के प्रावधानों के अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रार द्वारा रखे गए दस्तावेजों का निरीक्षण किया जा सकता है या इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रतियां ली जा सकती हैं। अधिनियम में पारदर्शिता और जवाबदेही के उच्च स्तर को सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र निदेशकों, लेखापरीक्षा समिति, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, स्वतंत्र लेखापरीक्षकों और सतर्कता तंत्र से संबंधित प्रावधान भी शामिल हैं।

सरकार द्वारा एक स्वतंत्र नियामक (बड़ी कंपनियों और उनके लेखापरीक्षकों के लिए) के रूप में स्थापित राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एनएफआरए) 2018 से कार्य कर रहा है, प्राधिकरण को लेखांकन और लेखापरीक्षा मानकों की सिफारिश करने, लेखापरीक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उपयुक्त मामलों में प्रवर्तन कार्रवाई करने का अधिदेश है। एनएफआरए के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक विनिर्दिष्ट बड़ी कंपनियों के वित्तीय प्रकटीकरण में निवेशक और जनता के विश्वास को बढ़ाना है सरकार ने बड़ी निजी कंपनियों (अर्थात लघु कंपनियों के अलावा निजी कंपनियों) के शेयरों के अनिवार्य डीमटेरियलाइजेशन की आवश्यकता के लिए नियमों में संशोधन किया है। इस तरह की अपेक्षा से अधिक पारदर्शिता और निवेशकों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है।

कंपनी अधिनियम, 2013 और सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 में कंपनियों और सीमित दायित्व भागीदारियों द्वारा महत्वपूर्ण लाभकारी मालिकों के विवरणों की पहचान करने और उनके प्रकटन करने के संबंध में आवश्यकताओं का प्रावधान है ताकि कानूनी संस्थाओं के मामलों को नियंत्रित करने वाले अंतिम स्वाभाविक व्यक्ति(यों) के संबंध में पारदर्शिता हो सके।

पेशेवरों की डुप्लिकेट और मल्टीपल आईडी को हटाने के लिए, एमसीए-21 पोर्टल पर उपयोगकर्ताओं के लिए टू फेक्टर ओथेंटिकेशन (2एफए) पेश किया गया है। उपयोगकर्ता आईडी स्थायी खाता संख्या (पैन), निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन), सदस्यता संख्या, ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर जैसे विशिष्ट पहचानकर्ताओं के आधार पर उत्पन्न की जाती है। इस तरह के सत्यापन के कारण, उपयोगकर्ताओं को मल्टीपल और डुप्लिकेट आईडी बनाने से प्रतिबंधित किया जाता है।

*****